>

Title: Need to allocate funds to Land Development Banks by the NABARD.

**श्री रतन सिंह (भरतपुर):** महोदय, आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। इसके लिए धन्यवाद। भारत कृषि प्रधान देश है। देश में किसानों को वित्तीय सुविधा देना सरकारी बैंक बोझ समझने लग गए हैं। देश के किसानों को लगभग 55 वर्ष से अपने खेतों के विकास कार्य पर खर्च करने के लिए भूमि विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में योगदान कर रहे हैं। नाबार्ड जो कृषि की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी स्थापित किया गया है वह अपनी नीतियों के कारण कृषि कार्यों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता करने के स्थान पर कई प्रकार की बाधाएं खड़ी कर रहा है। सरकारी घोषणाएं जो कि नाबार्ड द्वारा पूरी की जानी हैं उनको नाबार्ड द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। इसमें कार्यरत कृषि विरोधी व्यवस्था एवं प्रबंध व्यवस्था कृषि विकास पर अनेक कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। नाबार्ड एक्ट 1981 की धारा 25(1)(ब) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य भूमि विकास बैंकों के समय से ऋण चुकाने वाले किसानों को फसली ऋण 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के बजट में क्रमशः 1 प्रतिशत, 2 प्रतिशत एवं 3 प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई हैं जो आज तक इन भूमि विकास बैंकों को नहीं दी गई है। भूमि विकास बैंकों एवं सरकारी बैंकों को किसानों को ऋण कार्य में नाबार्ड एवं सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जो कृषि विकास के लिए उचित नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर भूमि विकास बैंक सहकारी बैंकों से ज्यादा काम कर रहे हैं, उन क्षेत्रों के किसानों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा अनुरोध है कि नाबार्ड एवं सरकार द्वारा भूमि विकास बैंकों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनके अनुसार 4.50 प्रतिशत पर पुर्नवित्त उपलब्ध कराया जाए जिससे भूमि विकास बैंक जो 55 साल से कार्य कर रहा है, उनके उत्साह में और तेजी आए और कृषि क्षेत्र में वित्त के माध्यम से विकास की दिशा मिल सके।